



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246030
CG-DL-E-24052023-246030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2171]
No. 2171]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2023/ज्येष्ठ 3, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2023/JYAISHTHA 3, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2023

का.आ. 2265(अ).—केंद्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं पर लागू नहीं होंगे जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड-3, उप खंड (ii) तारीख 24 मई, 2022 में प्रकाशित की गयी अधिसूचना का.आ. 2374(अ) तारीख 23 मई, 2022 में निर्दिष्ट है :- अर्थात्

वित्तीय सेवा:

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी संस्थाओं सहित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रस्तुत पाठ्यक्रमों से संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) इस प्राधिकरण का विनियामक क्षेत्र रिपोर्टिंग अपेक्षाओं सहित स्थापन निबंधनों और शर्तों तथा विदेशी संस्थाओं सहित ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कृत्य तक सीमित होंगे और उसके अपने सम्बंधित देश विनियामक का विनियमन ढांचा सभी शैक्षणिक मामलों, जैसे पाठ्यक्रम, संकाय, प्रवेश मानदंड और प्रक्रिया, शैक्षणिक सहयोग आदि पैर लागू होगा।

(ii) अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की मान्यता भारत में उनकी समतुल्यता के प्रयोजन के लिए, भारतीय विश्वविद्यालय के संघ या ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा प्रदान की गयी अहर्ताओं के लिए शैक्षणिक समतुल्यता के अनुसार अन्य एजेंसियों में निहित उत्तरदायित्व की अपेक्षाओं के अधीन होगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/4/2022-इम-भाग(1)]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2023

S.O. 2265(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government directs that the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and the All India Council For Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) shall not apply to the following financial service specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O.2374(E) dated the 23rd May 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(ii) dated the 24th May 2022, namely:-

financial service:

courses offered in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics by foreign universities or foreign institutions in the International Financial Services Centres.

Explanation – For the removal of doubts, it is hereby clarified-

(i) that the regulatory ambit of the Authority shall be limited to terms and conditions of establishment including reporting requirements and administrative functioning of such foreign universities or foreign institutions and the regulatory framework of the respective home country shall apply in all academic matters such as curriculum, faculty, admission criteria or process, academic collaborations etc.;

(ii) that the recognition of courses offered by such foreign universities or foreign institutions in the International Financial Services Centre, for the purpose of their equivalence in India, shall be subject to the requirements of Association of Indian Universities or other agencies vested with the responsibility of according academic equivalence to the qualifications awarded by such foreign universities or foreign institutions.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/4/2022-EM-(Part (1))]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.